DEPUTY DIRECTOR (IMPLEMENTATION)

10

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2011

सा.का.नि. 117.—राष्ट्रपति, सिंवधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उप निर्देशः (कार्यान्वयन) और अनुसंधान अधिकारी (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय भर्ती नियम, 1986 का और संशोधन करने के लि निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :--

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उप निदेशक (कार्यान्वयन) और अनुसंधान अधिकारी (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालग् भर्ती (संशोधन) नियम, 2010 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. उप निदेशक (कार्यान्वयन) और अनुसंधान अधिकारी (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय भर्ती नियम, 1986 की अनुसूर्च के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी अर्थात् :--

			3:	ा नुसूची		
पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे बैंड तथा ग्रेड पे/ वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	् सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
उप निदेशक (कार्यान्वयन)	1* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	पी बी-3, 15600— 39100 रु.+ ग्रेड पे 6600 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
सीधे भर्ती किए शैक्षिक और अन	जाने वाले व्यक्तियं न्य अर्हताएं	ों के लिए अपेक्षित	के लिए अर्हताए	नर्ती किए जाने व ए विहित आयु अ ए प्रोन्त व्यक्तिय ्होंगी या नहीं	गौर शैक्षिक	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
	(8)		(9)			(10)
लागू नहीं होता			लागू नहीं होता			प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष
SILILIN MILLIA	तः भर्ती सीधे ह कित/स्थानांतरण द्वा जाने वाले पदों की	ारा तथा।वाभन्न स्थ	न्नित/प्रतिनियुवि थानांतरण किया	त/स्थानांतरण द्वाः जाएगा	रा भर्ती की दशा में वे	े श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति,
(11)		((12)		
प्रतिनियुक्ति/प्र	गेन्नित द्वारा	1. (i	क)(i) जो अप i) जिन्होंने पे	ं के अधीन ऐसे ाने मूल काडर में बैण्ड-3, 15600	नियमित आधार पर	सदृश पद धारण किए हुए हैं, या ड पे 5400 रु. या समतुल्य पे बैण्ड

सेवा की है; या

और ग्रेड पे वाले पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष

- (iii) जिन्होंने पे बैण्ड-2, 9300-34800 रु. तथा 4800 रु. के ग्रेड पे या समतुल्य पे बैण्ड और ग्रेड पे वाले पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की है; या
- (iv) जिन्होंने पे बैण्ड-2, 9300-34800 रु. तथा 4600 रु. के ग्रेड पे या समतुल्य पे बैण्ड और ग्रेड पे वाले पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में सात वर्ष सेवा की है; और
- (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :

आवश्यक :

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर हिन्दी विषय के साथ अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या समतुल्य; या
- (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अंग्रेजी विषय के साथ हिन्दी में मास्टर डिग्री या समतुल्य;

वांछनीय :

राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) या नीति के कार्यान्वयन में एक वर्ष का अनुभव।

2. ऐसे विभागीय अनुसंधान अधिकारी (कार्यान्वयन), जिन्होंने उस श्रेणी में सात वर्ष नियमित सेवा को है, पर भी बाहरी व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और पद पर नियुक्ति के लिए उसके चयन की दशा में उक्त पद प्रोन्नित द्वारा भरा गया समझा जाएगा। (पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति, प्रोन्नित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अविध, जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य विभाग/संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अविध है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

[प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (अल्प अवधि की सींवेदा सहित)/स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी]।

यदि विभागीय प्	ग्रोन्निति समिति है, तो र	उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामश					
(13)			(14)					
लागू नर्ह	[†] होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
अनुसंधान अधिकारी (कार्यान्वयन)	1* (2010) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	पी बी-2, 9300— 34800 रु.+ ग्रेड पे 4600 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		
(8)			(9)	(10)			
लागू नहीं होता			लागू नहीं ।	होता	पुनर्नियोजित सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए दो वर्ष			

(11)

प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा । सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन द्वारा (12)

प्रतिनियुक्ति/आमेलन:

- 1. केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी:
- (क)(i) जो अपने मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या
- (ii) जिन्होंने पे बैण्ड-2, 9300-34800 रु. तथा 4200 रु. ग्रेड पे या समतुल्य पे बैण्ड और ग्रेड पे वाले पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है; और
- (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :

आवश्यक :

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर हिन्दी विषय के साथ अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या समतुल्य; या
- (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अंग्रेजी विषय के साथ हिन्दी में मास्टर डिग्री या समतुल्य;

वांछनीय :

राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) या नीति के कार्यान्वयन में एक वर्ष का अनुभव।

सशस्त्र बल कार्मिक के लिए:

किनष्ठ कमीशन आफिसर की पंक्ति के सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के लिए अपेक्षित अनुभव और विहित शैक्षिक अर्हताएं हैं। ऐसे चयनित व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है। तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। ऐसे पात्र अधिकारियों की दशा में, जो पद पर वास्तविक चयन किए जाने से पूर्व ही सेवानिवृत्त या रिजर्व में स्थानान्तरित हो गए हैं उनकी नियुक्ति पुनर्नियोजन के आधार पर होगी (सिविल पर्दों के संबंध में अधिवर्षिता की आयु तक पुनर्नियोजन)।

[प्रतिनियुक्ति अवधि, जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य विभाग/संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पर पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रतिनियुक्ति (अल्प अवधि की सॉविदा सहित)/स्थानांतरण पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी]।

(13)	(14)
पुनर्नियोजित सशस्त्र बल कार्मिकों के पुष्टि के संबंध में विचार के लिए समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नित समिति : 1. उप सचिव/निदेशक, प्रशासन का भारसाधक, गृह मंत्रालय —अध्यक्ष 2. उप सचिव/उप निदेशक, राजभाषा विभाग —सदस्य 3. उप निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग —सदस्य 4. अवर सचिव (प्रशा. 1), गृह मंत्रालय —सदस्य	जब कोई अधिकारी आमेलन द्वारा नियुक्ति किए जाने व लिए विचार के क्षेत्र में हो और प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन पर नियुक्ति किए जाने के लिए विचार के क्षेत्र में कोई सशस्त्र बल कार्मिक हो तब संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th April, 2011

- G.S.R. 117.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Deputy Director (Implementation) and Research Officer (Implementation), Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Recruitment Rules, 1986, namely:—
- (1) These rules may be called the Deputy Director (Implementation) and Research Officer (Implementation), Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Recruitment (Amendments) Rules, 2010.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Deputy Director (Implementation) and Research Officer (Implementation), Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Recruitment Rules, 1986, for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:—

			SCH	EDULE			
Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether Selection post or non- selection post	Whether benefic of added years of service admissibility under Rule 30 of the Central Civil Services (Pensic Rules, 1972	of direct recruits ble f	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Deputy Director (Implemen- tation)	01* (2010) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'A', Gazetted, Non- Ministerial	PB-3, Rs. 15600— 39100 with the Grade Pay of Rs. 6600	Not applicable	Not applicable	Not applicable	
Educational for direct rec		fications required	qua dire	ether age and e lifications pres ect recruits will a e of promotees	cribed for	Period of probation, if any	
(8)			-	(9)		(10)	
Not applicable				Not applicable	Two years for promotees		
or by pron	notion or by o of the vacan	ether by direct recordeputation/transficies to be filled	er and	In case of regrades from w	cruitment by prom	otion/deputation/transfer, ntation/transfer to be made	
(11)				(12)			
Deputation/promotion				Deputation/promotion: 1. Officers under Central Government:—			
				cadre; or		regular basis in their parent in PB-3, Rs. 15600—39100	
					le Pay of Rs. 5400 or		

(12)(iii) With six years' regular service in PB-2, Rs. 9300—34800 with the Grade Pay of Rs. 4800 or equivalent; or (iv) With seven years' regular service in posts PB-2, Rs. 9300-34800 with the Grade Pay of Rs. 4600 or equivalent; and (b) possessing the following educational qualifications and experience. Essential: (i) Master's Degree of a recognized University or equivalent in English with Hindi as a subject at degree level (ii) Master's Degree of a recognized University or equivalent in Hindi with English as a subject at degree level. Desirable: One year experience in implementing the Official Language Act, 1963 (19 of 1963) or policy. 2. The Departmental Research Officer (Implementation) with seven years regular service in the grade will also be considered alongwith outsiders and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion. [The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other department/organization shall ordinarily not to exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation (including short term contract)/transfer shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.] If a Departmental Promotion Committee exists, what is its Circumstances in which Union Public Service composition Commission is to be consulted in making recruitment (13)(14)Not applicable Consultation with the Union Public Service Commission is necessary. (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)Research 01*(2010) General PB-2, Not Not applicable Not applicable Officer *Subject Central Rs. 9300applicable (Implemento variation Service, 34800 with tation) dependent Group 'B', the Grade

on

workload.

Gazetted,

Ministerial

Non-

Pay of

Rs. 4600

	15		
(8)	(9)		(10)
Not applicable	Not applicat	ole .	Two years for Armed Forces Personnel re-employed
(11)		(12	2)
Deputation/absorption ForArmed Forces personnel Deputation/re-employment	Officers u (a) (i) Hol cadre/dep (ii) With fi 34800 wit (b) possess experience Essential (i) Master English w OR (ii) Master in Hindi w Desirable One year er or policy. For Arme The Arm Commissic to reserve education deputation officers sh they are du may be co- eligible off before the a will be on r of superan [The perio another er appointment shall ordina appointment transfer sh	on/absorption: under Central Gover ding analogous pos artment; or five years' regular se the Grade Pay of ssing the following e. : 's Degree of a recog ith Hindi as a subject r's Degree of a recog ith English as a subject experience in Official d Forces Personne and Officer who are even the following the following the interval of the following the fo	nment:— sts on regular basis in their parent ervice in post in PB-2, Rs. 9300— Rs. 4200 or equivalent; and g educational qualifications and enized University or equivalent in ect at degree level ognized University or equivalent bject at degree level. I LanguageAct, 1963 (19 of 1963)
(13)			(14)
Group 'B' Departmental Promotion Committee confirmation of Armed Forces Personnel re-enaction of Armed Forces Personnel re-enaction of Admn., MHA 2. Deputy Secretary/Deputy Director, Department of Official Language 3. Deputy Director (Implementation), Department of Official Language 4. Under Secretary (Ad.I), MHA	ee for considering nployed:— —Chairman —Member —Member —Member	Commission i the field of on absorption personnel is	with the Union Public Service is necessary when an officer is in consideration for appointment on and when armed forces in the field of consideration for on deputation/re-employment.